UPJB010033792026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष सं0–1 अमरोहा

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–847/2026

वाजिद उर्फ भूरा पुत्र जहीर तुर्क निवासी ग्राम मूढ़ा इम्मा थाना डिडौली जिला अमरोहा।

.... **आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन/विपक्षी**

अपराध संख्या–193/2018
एस0टी0 नं0 304/2018
धारा 25 आयुध अधिनियम
थाना–डिडौली, जिला अमरोहा

जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

02.06.2026:–

यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त वाजिद उर्फ भूरा की ओर से अपराध संख्या 193/2018, एस0टी0 नं0 304/2018 धारा– 25 आयुध अधिनियम थाना डिडौली, जिला अमरोहा के अन्तर्गत जमानत हेतु दिया गया है।

प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा जारी बिना जमानतीय अधिपपत्र पर अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उसे झूठा फसाया गया है वह निर्दोष है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी नियत दिनांको पर हाजिर आ रहा था परन्तु अचानक बीमार हो जाने के कारण वह नियत दिनांक पर उपस्थित नही आ सका, उसके बाद प्रार्थी अन्य केस में जेल चला गया जिस कारण वह नियत दिनांकों पर उपस्थित नहीं आ सका, जिस कारण उसके विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिये गये। प्रार्थी के द्वारा जेल जाने के बाद दिनांक 27.09.2024 को अपने अधिवक्ता से उक्त केस में जेल से तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र योजित किया तब जाकर दिनांक 01.10.2025 को न्यायलय द्वारा धारा 346 बी0एन0एस0एस0 का वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। प्रार्थी दिनांक 01.10.2025 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई पैराकार नहीं है प्रार्थी ने अपना जमानत प्रार्थना पत्र डिप्टी चीफ एल.ए.डी.सी. के माध्यम से न्यायालय में योजित किया है। प्रार्थी नियत दिनांकों पर न्यायालय हाजिर आता रहेगा। जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि वह काफी समय से अनुपस्थित चल रहा था जिस कारण वाद के विचारण में विलम्ब कारित हुआ तथ भविष्य में वह अनुपस्थित हो जायेगा है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

Digitally signed by SHAKIR HASAN
Date: 2026.06.02 15:30:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनी तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि उसे झूठा फसाया गया है वह निर्दोष है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी नियत दिनांको पर हाजिर आ रहा था परन्तु अचानक बीमार हो जाने के कारण वह नियत दिनांक पर उपस्थित नही आ सका, उसके बाद प्रार्थी अन्य केस में जेल चला गया जिस कारण वह नियत दिनांकों पर उपस्थित नहीं आ सका, जिस कारण उसके विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिये गये। प्रार्थी के द्वारा जेल जाने के बाद दिनांक 27.09.2024 को अपने अधिवक्ता से उक्त केस में जेल से तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र योजित किया तब जाकर दिनांक 01.10.2025 को न्यायलय द्वारा धारा 346 बी0एन0एस0एस0 का वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। प्रार्थी दिनांक 01. 10.2025 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई पैराकार नहीं है प्रार्थी ने अपना जमानत प्रार्थना पत्र डिप्टी चीफ एल.ए.डी.सी. के माध्यम से न्यायालय में योजित किया है। प्रार्थी नियत दिनांकों पर न्यायालय हाजिर आता रहेगा।

चूँकि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था तथा अभियुक्त के गैर हाजिर होने के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानीय वारंट जारी हो गये थे। आवेदक/अभियुक्त द्वारा भविष्य में नियत तिथि पर उपस्थित होने का आश्वासन दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 01.10.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है ।

मेरी राय में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अभियुक्त के आश्वासन को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त वाजिद उर्फ भूरा का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अपराध संख्या 193/2018, एस0टी0 नं0 304/2018 धारा– 25 आयुध अधिनियम थाना डिडौली, जिला अमरोहा के मामले में स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/–रूपये का निजी बन्ध पत्र एवं इतनी ही राशि के दो प्रतिभू तथा निम्नलिखित आशय की अन्डरटेकिग दाखिल करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर उसे जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है:–

1– आवेदक/अभियुक्त दौरान जमानत साक्षीगण को किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया जावेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान तिथियों पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त वाद में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

4–आवेदक/अभियुक्त गवाह के आने, बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

यह कि उक्त शर्तो का प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी।

(शाकिर हसन)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1,
अमरोहा।
आई0डी0 न0 यू0पी0–2416